सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्र0सं0 14/2022

1. बलवीरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति कम्बोज सिख साकिन 45 एन पी तहसील रायसिंहनगर।
2. बलजिन्दरसिंह पुत्र श्री जंगीरसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 45 एन पी तहसील रायसिंहनगर।

निगरानीकर्तागण

बनाम

1. ग्राम पंचायत नानूवाला तहसील रायसिंहनगर।
2. बलदेवसिंह पुत्र तेजासिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 45 एन पी तहसील रायसिंहनगर।

अप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994

उपस्थित : 1. श्री तेजासिंह संधू, अधिवक्ता, निगरानीकर्तागण
2. श्री जरनैलसिंह टुरना, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 2

आदेश दिनांक : 23.03.2022

निगरानीकर्तागण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नानूवाला द्वारा दिनांक 5–12–1999 को अप्रार्थी सं0 2 बलदेवसिंह को अहाता सं0 17ए का आवंटन किया गया है, को निरस्त कराने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गई है।

हस्तगत निगरानी कार्यालय आदेश कमांक सीजी/ वाचक/ कार्यविभाजन/2022/36 दिनांक 14–0–22 के द्वारा रायसिंहनगर तहसील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को दिये जाने के कारण प्रकरण अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर के न्यायालय से इस न्यायालय में दिनांक 10–2–22 को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है।

प्रकरण के सक्षेंप में सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं0 2 को चक 45 एन पी में प्लाट सं0 17ए दिनांक 5–12–99 को पट्टा जारी कर चौक की भूमि आवंटित की गई है, जिसे ग्राम पंचायत आवंटित करने के लिए सक्षम नहीं थी। निगरानीकर्ता का अहाता सं0 12 व 15 निगरानीधीन चौक के सामने है तथा निगरानीकर्ता के अहाते के गेट के आगे रास्ता है। रास्ते से आगे चौक की भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित की गई है। चौक की भूमि के सामने निगरानीकर्ता के मकान बने हुए हैं। यदि चौक

अति. जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

Scanned with CamScanner

की भूमि में निर्माण हो जाता है तो निगरानीकर्ता का अवागमन बंद हो जायेगा। निगरानीधीन आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया और न ही सुनवाई की गई है तथा न ही विधिक प्रकिया अपनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियम 140 से 158 की प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। दिनांक 17–2–20 को अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता द्वारा पूर्व न्यायालय में प्रारम्भिक कानूनी एतराजात प्रस्तुत किये गए हैं। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्तागण ने अपनी बहस में कहा है कि अप्रार्थी सं0 2 को चक 45 एन पी में प्लाट सं0 17ए दिनांक 5–12–99 को पट्टा जारी कर चौक की भूमि आवांटित की गई है, जिसे ग्राम पंचायत को आवंटित करने का अधिकार नहीं था। निगरानीकर्ता का अहाता सं0 12 व 15 निगरानीधीन चौक के सामने है तथा निगरानीकर्ता के अहाते के गेट के आगे रास्ता है। रास्ते से आगे चौक की भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित की गई है। चौक की भूमि के सामने निगरानीकर्ता के मकान बने हुए हैं। यदि चौक की भूमि में निर्माण हो जाता है तो निगरानीकर्ता का अवागमन बंद हो जायेगा। निगरानीधीन आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया और न ही सुनवाई की गई है तथा न ही विधिक प्रकिया अपनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियम 140 से 158 की प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने अपनी लिखित बहस एवं मौखिक में कहा है कि निगरानी मियाद बाहर पेश की गई है। मियाद अधिनियम के आर्टीकल 131 में निगरानी की मियाद 90 दिन है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी 20 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के साथ न तो धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और न ही प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। निगरानीकर्ता को निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह प्रभावी पक्षकार नहीं है न ही निगरानीकर्ता द्वारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। निगरानीकर्ता ने निगरानी में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि चक 45 एन पी में उसका कौनसा भूखण्ड सं0 है, केवल यह कह देना कि रास्ता बंद हो जायेगा, पर्याप्त नहीं है। अपने इस तर्क के समर्थन में आर एल डब्ल्यू 1968 पेज 3 बी मां0 राज0 उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। दिनांक 17–02–2020 को प्रारम्भिक कानूनी एतराज प्रस्तुत किये गये थे, जिसका जवाब निगरानीकर्ता द्वारा नहीं दिया गया है। जवाब नहीं दिये जाने के कारण निगरीनीकर्ता की सह स्वीकृति मानी जायेगी। महज चुनावी रंजिश के कारण अप्रार्थी को तंग परेशान करने की नियत से निगरानी प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी खारिज की जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने पुनः बहस में कहा कि निगरानी में मियाद की सीमा तय की हुई नहीं है। 90 दिन की अवधि रिव्यू के लिए है। मियाद का बिन्दू निगरानी में नहीं होने के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

कारण के मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। निगरानीकर्ता निगरानी में प्रभावी पक्षकार है क्योंकि निगरानीधीन चौक की भूमि निगरानीकर्ता के आहते के गेट के सामने है। प्रारम्भिक आपतियॉ का जबाब इसलिए पेश नहीं किया गया क्योंकि निगरानी में मियाद की अवधि तय नहीं है। 90 दिन की अवधि रिव्यू के लिए है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता का तर्क है कि निगरानी के लिए मियाद अधिनियम के आर्टीकल 131 में निगरानी की मियाद 90 दिन है। निगरानी 20 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है इसलिए खारिज योग्य है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अवलोकन से पाया गया कि धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी के लिए समय सीमा तय की हुई नहीं है लेकिन धारा 97 की टिप्पणी में अंकित किया गया है कि राज्य सरकार अपने द्वारा पारित आदेश का स्वप्रेरण से किसी भी हितबद्व व्यक्ति से प्राप्त आवेदन पर ऐसा आदेश देने के 90 दिन के अन्दर निम्न कारणों से या आधारों पर पुनर्विलोकन कर सकती है –

1. ऐसा आदेश किसी तथ्य या विधि की भूलवश दे दिया गया है, या
2. किसी तात्विक तथ्य की जानकारी न होने पर पारित किया गया है।

पुनर्विलोकन करने पर राज्य सरकार संबंधित हितबद्व पक्षकार को सुनवाई का उचित अवसर देगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निगरानी में मियाद का बिन्दू निहित नहीं है। अतः अप्रार्थी सं0 2 की यह प्रारम्भिक आपति निरस्त की जाती है।

अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता की द्वितीय प्रारम्भिक आपति है कि धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। निगरानीकर्ता प्रभावी पक्षकार नहीं है। अतः उसे निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से तथा निगरानी में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि निगरानीधीन भूखण्ड के सामने निगरानीकर्ता के अहाते के गेट है इसलिए निगरानीकर्ता हस्तगत प्रकरण में प्रभावी पक्षकार है। अतः यह आपति भी निरस्त की जाती है।

निगरानी में निर्णय हेतु मुख्य बिन्दू है कि निगरानीधीन भूखण्ड चौक की जगह है अथवा नहीं ?

निगरानी में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा वर्णित किया गया है कि निगरानीधीन भूखण्ड सं0 17ए चौक की भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित है। निगरानीकर्ता ने निगरानी के साथ ऐसा कोई सारवान दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित होता कि निगराधीन भूखण्ड चौक की भूमि हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये कमांक 195 दिनांक 2–9–2014 को निगरानीधीन भूखण्ड के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें वर्णित किया है कि ग्राम पंचायत नानूवाला के अधीन चक 45 एन पी के अहाता सं0 17ए का साईज 100 गुणा 50 फुट यानि पूर्व 100 फुट, पश्चिम 100 फुट, उतर में 50 फुट, दक्षिण में 50 फुट बलदेवसिंह पुत्र तेजासिंह के नाम से दर्ज अंकित है। एवं ग्राम पंचायत के पास चक 45 एन पी का मौके पर नक्शा नहीं है। उक्त प्रमाण पत्र सरपंच इन्द्रादेवी द्वारा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने उक्त प्रमाण पत्र में चौक की भूमि होने का कोई उल्लेख नहीं किया है। ग्राम पंचायत नानूवाला पं0 स0 रायसिंहनगर ने पत्र कमांक 52 दिनांक 20–7–18 से अवगत कराया है कि चक 45 एन पी में अहाता

[stamp] कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

सं. 17 ए सन् 1995 से पूर्व किसी नाम से ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं है। सन् 1995 के बाद ग्राम पंचायत द्वारा 5–12–99 को अहाता सं0 17 ए बलदेवसिंह पुत्र तेजासिंह जाति कम्बोज सिख के नाम से पट्टा जारी है। उक्त पत्र राजकाज सरपंच द्वारा जारी किया गया है। मूल पट्टा बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी सं0 2 बलदेवसिंह को दिनांक 5–2–1999 को पुराना कब्जा शुदा प्लाट सं0 17 ए मानते हुए निलामी में पाँच सौ रू0 पर विक्रय किया गया है। निलामी राशि पाँच सौ रू0 की रसीद बलदेवसिंह के पक्ष में जारी की गई है।रसीद का सामान्य रोकड़ बही में दिनांक 5–12–99 को रसीद सं0 59 से 65 से 82 तक विक्रय आबादी भूमि पेटे इन्द्राज किया गया है। मूल पट्टे में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पुराना कब्जा शुदा प्लाट सं0 17ए है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर निगराधीन भूखण्ड सं0 17ए का विक्रय निलामी द्वारा अप्रार्थी सं0 2 को किया है, जिसकी राशि रसीद सं0 66 से जमा हुई है तथा रसीद से प्राप्त की गई राशि को सामान्य रोकड़ बही में जमा किया गया है। वर्ष 1999 में आवंटित पट्टे को 22 वर्ष के लम्बे अंतराल के बाद निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानीधीन भूखण्ड चौक की भूमि हो, यह साबित नहीं किया है। अप्रार्थी ने अपनी प्रारम्भिक आपति में इस तथ्य का अंकन किया है कि भूखण्ड आवंटन होने के बाद ही अप्रार्थी द्वारा चार दिवारी का निर्माण कर रखा है व मकान का निर्माण कर रखा है तथा एशुओं का बाडा बनाया हुआ है।

अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर एल डब्ल्यू1959 पेज 3 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

[b] Panchayat Rules - Sale of Land - Rules merely for guidance of panchayats and infringement cannot be challenged by person whose right not affected.

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मेरे विनम्र मत में निगरानीधीन भूखण्ड चौक की भूमि हो तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित हो, इस संबंध में कोई सारवान दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं होने, न ही निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत करने और न ही ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत करने के कारण निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति रेकार्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 23–03–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्री गंगानगर।

Scanned with CamScanner